escape from one crop into related species and wild crop relatives. Even if the effect is there, further escape is checked due to mortality of varieties/hybrids. Nevertheless, biosafety at the expense of food security is no solution.

(d) Indian Council of Agricultural Research has seriously taken note of this issue as early as March, 1998. Iil May, 1998 a meeting on the issue was held and the Directorate of Plant Protection for Quarantine and Storage (Department of Agriculture and Cooperation, Government of India) has issued the office memorandum no. 82-1/98-PPD dated 25.5.98 whereby the following steps were taken to stop the killer gene from invading India:—

(i) In no case any seed material having Terminator Gene should be imported.

(ii) Before issuing Import Permits for Seeds, Import Permit Issuing Authorities should satisfy themselves that such seeds are not having Terminator Gene.

(iii) Import Permit Issuing Authorities should request the Importers to help in getting an additional declaration on the official Phyto Sanitary Certificate that the imported seeds (By Name) are free from Terminator Gene.

(iv) Before release of imported seeds, Import Permit Issuing Authorities should satisfy themselves that such seeds do not contain Terminator Gene,

(v) Import Permit for any kind of Seed falling under the Category of "Trans-genic Material" must not be issued without the approval of PPA (Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture, Government of India).

किसानों को क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने के मानदण्ड

3224. **श्री ईश दत्त यादवः**
श्री रामगोपाल यादवः

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विभिन्न राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाली क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का मानदण्ड एवं प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित कृषक परिवारों को पचास प्रतिशत फसल की क्षति पर सरकार द्वारा कोई सहायता राशि नहीं दी जाती है; और

(ग) यदि नहीं तो अग्नि कांड, ओला-वृद्धि, अतिवृद्धि, तूफान आदि से होने वाली जन-धन एवं फसलों की क्षति पर सरकार किस प्रकार से व किस सीमा तक सहायता प्रदान करती है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल):
(क) से (ग) दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में गठित विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट के आधार पर, कृषि मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को राष्ट्रीय आपदा राहत नीधि से स्वीकार्य सहायता की मदों और मानकों की सूची भेज दी है ताकि वे आपदा राहत से सहायता के अपने मानकों को अंतिम रूप दे सकें। इन मानकों में अन्य बातों के साथ साथ मृत व्यक्ति के परिवार को 20,000/- रु. की अनुग्रह राशि का भुगतान, छोटे और सीमान्त किसानों की, जिनके फसल क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त हो गए है, 500 रु. प्रति हैक्टेयर की दर पर आदान सब्सिडी के रूप में सहायता और पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त मकान को पनः स्थापित और निर्मित करने के लिए 4000/- रुपए की सहायता, पूर्णरुप से क्षतिग्रस्त मकान के निर्माण के लिए 2000/- रुपए और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मत के लिए 800/- रु. की सहायता शामिल है। स्थानीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्यों को अनेक मदों में इन मानकों से 50 प्रतिशत तक विमुक्त रखने की अनुमति दी गई है।